एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 2021

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के

श्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ0प्र0

क्या आप अपनी समस्त देनदारियों का एकमुश्त समाधान चाहते है?
क्या आप दण्ड ब्याज से पूर्ण मुक्ति चाहते है?
क्या आप समस्त देनदारी आसान मासिक किस्तों में देना चाहते हैं?
क्या आप वसूली की कानूनी कार्यवाही से बचना चाहते हैं?

यदि हाँ, तो

डिफाल्टर आवंटी पुनः ध्यान दें!

समझदारी दिखाइए, एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 2021 का लाभ उठाइए और हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाइए क्योंकि (OTS) 2021 योजना आपके लिए एक सुनहरा और अंतिम अवसर है।

योजना निम्न प्रकार की सम्पत्तियों पर लागू होंगी

• सभी प्रकार की आवासीय सम्पत्तियां (ग्रुप हाउसिंग सहित) चाहे आवटन पद्धति अथवा नीलामी पद्धति अथवा अन्य किसी भी पद्धति द्वारा आवंटित हो। • केन्द्र/राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों/संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियां। • विभिन्न प्रकार के स्कूल भूखण्डों एवं चैरिटेबल संस्थाओं, आदि को आवंटित सम्पत्तियां। • नीलामी अथवा अन्य से आवंटित व्यसायिक सम्पत्तियां। • सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियां।

योजना के आकर्षण

• ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन दोनो प्रकार से आवेदन की सुविधा। त्वरित निस्तारण (आवेदन जमा करने की तिथि से 1 माह के अन्दर) • डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड बयाज से पूर्ण मुक्ति, केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, जिसकी गणना साफ्टवेयर द्वारा की जाएगी। • आगणित सम्पूर्ण धनराशि 30 दिन के अन्दर एकमुश्त जमा करने पर 02 प्रतिशत की छूट। • आगणित राशि यदि रु. 50 लाख तक है तो 1/3 भाग डाउन पमेन्ट, अवशेष 2/3 भाग 06 मासिक किस्तों (09 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित) 07 माह के भुगतान की सुविधा। **किस्त के विलम्भ पर 02 प्रतिशत ब्याज के साथ अन्तिम किस्त तक की धनराशि जमा करने पर ओ0टी0एस मान्य है।** • आगणित राशि रू.50 लाख से अधिक है तो 1/2 भाग डाउन पेमेन्ट, अवशेष 1/2 भाग 06 माह मे तीन द्विमासिक (09 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सहित) 07 माह की सुविधा। **प्रथमबार किस्त का भुगतान विलम्ब से करने पर 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा। किन्तु पुनः विलम्ब करने पर ओ0टी0एस0 निरस्त हो जायेगा।**

भुगतान न किए जाने की दशा में वसूली हेतु कार्यवाही :–
प्राधिकरण को देय कोई धनराशि का भुगतान यदि आवंटी द्वारा इस योजनान्तर्गत निर्धारित टाइमलाईन्स के अनुरूप नहीं किया जाता है, तो ओ.टी.एस. निरस्त हो जायेगा और देय धनराशि की वसूली उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–40 के अधीन भू–राजस्व के बकाये की भांति की जाएगी। वन–टाइम–सेटेलमेन्ट (ओ.टी.एस. योजना–2020) डिफाल्टर आवटियों के हित में लागू एक आकर्षक योजना है और उनको दिया गया अन्तिम अवसर है, अतः योजना का लाभ उठाने के लिए तुरन्त आवेदन करें।

आवेदन की अवधि दिनांक 31.07.2021 तक

योजना का लाभ न लेने पर डिफाल्टर्स के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी

ऑफ लाईन आवेदन के लिए : आवेदन पत्र स्वागत कक्ष विन्डों से 10 रुपये के भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता हैं। • आवेदन पत्र पूर्ण भरकर एवं निर्धारित शुल्क बैंक में जमा कराकर स्वागत कक्ष के ओ.टी.एस. योजना काउण्टर नं0–1,2 व 3 पर दिनांक 31 जुलाई, 2021 तक जमा करा सकते हैं। • ओ.टी.एस. योजना के आवेदन पत्र से सम्बन्धित किसी भी जानकारी व ओ.टी.एस. फार्म भरने के लिए मो. : **8588869568** से सम्पर्क किया जा सकता है।

ऑन लाइन आवेदन के लिए वेबसाइट **www.gdaghaziabad.com** पर जाकर आवेदन करें।
ई–मेल : helplinegda@gmail.com, @gdagzb gdagzb हेल्पलाईन नं. : 0120–3342433, : 9818988807

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ, गाजियाबाद

डिफाल्टर आवंटी पुनः ध्यान दें!

समझदारी दिखाइए, एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 2021 का लाभ उठाइए और हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाइए क्योंकि (OTS) 2021 योजना आपके लिए एक और सुनहरा और अंतिम अवसर है।

योजना निम्न प्रकार सम्पत्तियों पर लागू होगी

- सभी प्रकार की आवासीय सम्पत्तियां (ग्रुप हाउसिंग) चाहे आवंटन पद्धति अथवा नीलामी पद्धति अथवा अन्य किसी भी पद्धति द्वारा आवंटित हो।
- केन्द्र / राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों / संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियां।
- विभिन्न प्रकार के स्कूल भूखण्ड एवं चैरिटेबल संस्थाओं, आदि को आवंटित सम्पत्तियां।
- नीलामी अथवा अन्य से आवंटित व्यवसायिक सम्पत्तियां।
- सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियां।

योजना के आकर्षण

- ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन दोनों प्रकार के आवेदन की सुविधा।
- त्वरित निस्तारण (आवेदन जमा करने की तिथि से एक माह के अन्दर)।
- डिफाल्टर अवधि हेतु दण्ड ब्याज से पूर्ण मुक्ति, केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, जिसकी गणना साफ्टवेयर द्वारा की जायेगी।
- आगणित सम्पूर्ण धनराशि 30 दिन के अन्दर एकमुश्त जमा करने पर 02 प्रतिशत की छूट।
- आगणित राशि यदि रू. 50 लाख तक है तो 1/3 भाग डाउन पेमेन्ट, अवशेष 2/3 भाग 06 मासिक किस्तों (09 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित) 07 माह के भुगतान की सुविधा। **किस्त के विलम्ब पर 02 प्रतिशत ब्याज के साथ अन्तिम किस्त तक की धनराशि जमा करने पर ओ0टी0एस0 मान्य है।**
- आगणित राशि यदि रू. 50 लाख से अधिक है तो 1/2 भाग डाउन पेमेन्ट, अवशेष 1/2 भाग 06 माह में तीन द्विमासिक (09 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित) 07 माह के भुगतान की सुविधा। **प्रथमबार किस्त का भुगतान विलम्ब से करने पर 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा। किन्तु पुनः विलम्ब करने पर ओ0टी0एस0 निरस्त हो जायेगा।**

भुगतान न किए जाने की दशा में वसूल हेतु कार्यवाही :-

प्राधिकरण को देय कोई धनराशि का भुगतान यदि आवंटी द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित टाइमलाईन्स के अनुरूप नहीं किया जाता है, तो ओ.टी.एस. निरस्त हो जायेगा और देय धनराशि की वसूली उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–40 के अधीन भू–राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी। वन–टाइम–सेटेलेन्ट (ओ.टी.एस. योजना–2020) डिफाल्टर आवंटियों के हित में लागू एक आकर्षक योजना है और उनको दिया गया अन्तिम अवसर है, अतः योजना का लाभ उठाने के लिए तुरन्त आवेदन करें।

आवेदन की अवधि दिनांक 31.07.2021 तक

योजना का लाभ न लेने पर डिफाल्टर्स के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।

ऑफ लाईन आवेदन के लिए : आवेदन पत्र स्वागत कक्ष विन्डों से 10 रूपये के भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र पूर्ण भरकर एवं निर्धारित शुल्क बैंक में जमा कराकर स्वागत कक्ष में ओ.टी.एस. योजना काउण्टर नं0–1, 2, 3 पर 31 जुलाई, 2021 तक जमा करा सकते हैं। ओ.टी.एस. योजना के आवेदन पत्र से सम्बन्धित किसी भी जानकारी व ओ.टी.एस. फार्म भरने के लिए मो. 8588869568 से सम्पर्क किया जा सकता है।

ऑन लाइन आवेदन के लिए वेबसाइट : **www.gdaghaziabad.com** पर जाकर आवेदन करें।

ई–मेल : **helplinegda@gmail.com, Twitter@gdagzb, facebook@gdagzb**

हेल्पलाईन नं0 : 120 3342433, व्हाट्सएप : 9818988807

एक सुन्दर शहर........ हमारा संकल्प